आदेश पत्रांक

न्यायालय - उपजिलाधिकारी
मण्डल : आजमगढ़, जनपद : बलिया, तहसील : बेल्थरा रोड
वाद संख्या :- 00087/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201915090400087
चन्द्रदेव मेमोरियल फाउण्डेशन बरोली बनाम उत्तर प्रदेश
अंतगर्त धारा:-80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश रजस्व सहिंता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद चन्द्रदेव मेमोरियल फाउण्डेशन मौहल्ला इमलिया पोस्ट मऊनाथ भंजन, तहसील सदर, जनपद मऊ, द्वारा अध्यक्ष श्रीमती रीता यादव पत्नी श्री सुबास सिह यादव स्थायी पता मौहल्ला इमलिया पोस्ट मऊनाथ भंजन, तहसील सदर, जनपद मऊ, द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व सहिंता 2006 की धारा 80 प्रार्थना पत्र पर प्राप्त तहसीलदार बेल्थरा रोड, से आख्या प्राप्त हुयी। तहंसीलदार बेल्थरा रोड ने अपनी आख्या दिनांक 04.04.2019 प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न खतौनी ओर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम बरौली परगना सि.गर्बी तहसील बेल्थरा रोड, जिला बलिया की आराजी नम्बर 982 रकबा 1.771 है0 लगानी 40.15/–रुपये वार्षिक जोकि माल कागजात में वादी/संस्था के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, को आबादी दर्ज कराने की प्रार्थना के साथ अकृषक भूमि प्रयोग होने के कारण प्रस्तुत किया था, प्रश्नगत भूमि में वर्तमान में निर्माण कार्य व्यक्त करते हुऐ उक्त समस्त आराजी को अकृषक घोषित किये जाने की आख्या की गयी है, आख्या के आधार पर वाद दर्ज रजिस्ट्री कर प्रतिवादी पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नामिक वकील को समन जारी किये गये, जो बाद तामील संलग्न पत्रावली है।

मैने विद्धान अधिवक्ताओं के तर्क को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विधिक परिशीलन किया। वादी ने दिनांक 20.03.2019 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी रांकमणीय भूमिधरी को अकृषक घोषित कर दिया जाये। तहसीलदार की जांच से स्पष्ट हुआ कि ग्राम बरौली परगना सि.गर्बी तहसील बेल्थरा रोड, जिला बलिया के

TRUE COPY
Sign...
Date ...13/5/19

P.T.O. --- 2 पर

खसरा नं0 982 रकबा 1.771 है0 लगानी 40.15/–रुपये वर्षिक में कृषि कार्य नही हो रहा है तथा मौके पर निर्माण सम्पत्ति है। धारा–80 के अन्तर्गत किसी गाटे को आबादी/अकृषक तभी घोषित किया जा सकता है जबकि उसका वास्तविक उपयोग गैर कृषि प्रयोजन में किया जा रहा हो। उपरोक्त गाटे को वास्तविक रुप से कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त नही किया जा रहा है तथा भूमि कृषि भूमि नही रह गयी है, आबादी के रुप में प्रयोग की जा रही है और निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि को नियमानुसार धारा –80 उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता 2006 के अन्तर्गत आबादी घोषित कर दिया जाये।

आदेश

अतः उपरोक्त आख्या के आधार पर, तथा प्रार्थी द्वारा नियमानुसार आबादी घोषित कराये जाने हेतु निधारिंत शुल्क जमा कराने के उपरान्त घोषित किया जाता है कि ग्राम बरौली परगना सि.गर्बी तहसील बेल्थरा रोड, जिला बलिया की आराजी नम्बर 982 रकबा 1.771 है0 लगानी 40.15/–रुपये वार्षिक को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। परवान अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उप–निबन्धक बेल्थरा रोड को भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांक– 05.05.2019

उपजिलाधिकारी
बेल्थरा रोड(बलिया)

नकल ... दिनांक 26/11/5/19
... दिनांक 13/5/19
... 14/5/19
तादात स्टाम्प... 0.7/...

नकल कर्ता...
तुलना कर्ता...

सत्य प्रतिलिपि
13/5/19